न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्याः 113/2019

मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि0 प्रधान कार्यालय– बी–9, मेन्टर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर।

.....**प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर**

बनाम

(1). श्री विजय सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह
(2). श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री बालु सिंह
(3). श्रीमती रूकमा पत्नि श्री आनन्द सिंह
निवासीगणः–प्लाट नम्बर 16, ग्राम शम्भुपुरा, ग्राम पंचायत ब्यावर खास, पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर
(4). श्री प्रेम सिंह रावत पुत्र श्री बालु सिंह
निवासीगणः– प्लाट नं. 207, नुंदडी मेंडरातन, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....**अप्रार्थीगण (ऋणी)**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– सुरज शर्मा – अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 29.08.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 03 को दिनांक 10.03.2017 को रू. 2,50,000/– (अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम शम्भुपुरा, ग्राम पंचायत ब्यावर खास पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर स्थित पटटा नम्बर 16 की सम्पति (क्षैत्रफल–164.98 वर्ग गज) जो श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री बालू सिंह के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 20.03.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 22.05.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 4,64,040/– (अक्षरे चार लाख चौंसठ हजार चालीस रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner